BCCI BULLETIN

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

Vol. XXXXVI | 30th September, 2015 | No. 16

बिहार विधान सभा निर्वाचन 2015

वोट जरूर दें

अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए
टॉल फ्री नंबर
1800 345 1950

लोकतंत्र हम से
वोट करें गर्व से

ओ० पी० साह
अध्यक्ष

बिहार में चुनाव पाँच चरणों में

पहला चरण : 12 अक्टूबर, 2015
(कुल विधान सभा क्षेत्र - 49)
समस्तीपुर, बेगूसराय, नवादा, जमुई, बांका, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय एवं शेखपुरा।

दूसरा चरण : 16 अक्टूबर, 2015
(कुल विधान सभा क्षेत्र - 32)
कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद एवं गया।

तीसरा चरण : 28 अक्टूबर, 2015
(कुल विधान सभा क्षेत्र - 50)
सारण, वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर एवं बक्सर

चौथा चरण : 01 नवम्बर, 2015
(कुल विधान सभा क्षेत्र - 55)
पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज एवं सीवान।

पाँचवाँ चरण : 05 नवम्बर, 2015
(कुल विधान सभा क्षेत्र - 57)
मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा एवं दरभगा।

निवेदक
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज
खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना - 800 001

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय सदस्यगण,

नये सत्र में मैं आप सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ ।

आप सबने मुझे पुनः चैम्बर का अध्यक्ष निर्वाचित कर मुझमें जो आस्था एवं विश्वास प्रकट किया है, उसके लिये मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। गत् वर्ष आप सभी के द्वारा दिये गये सहयोग के लिये भी मैं आभारी हूँ तथा आशा करता हूँ कि इस वर्ष भी मुझे आपका स्नेह पूर्ववत प्राप्त होता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

मैं गत् वर्ष के अधूरे कार्यों को इस वर्ष पूरा करने में आप सबों के मार्गदर्शन तथा सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ।

बिहार विधान सभा का मतदान आसन्न है और अनुरोध है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग सपरिवार करें और बिहार में विकासशील सरकार बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें।

आपका
ओ. पी. साह
अध्यक्ष

अधिक रकम लेकर जाएं तो सबूत रखें साथ

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधियों ने चुनाव आयोग से की मुलाकात, कहा-जांच में उद्यमियों को हो रही है परेशानी

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 50 हजार रुपये से अधिक राशि लेकर कहीं आते-जाते हैं तो उन पैसों से जुड़े कागजात, दस्तावेजी सबूत जरूर पास रखें और जांच अधिकारी को दिखाएं।

दिनांक 16.9.2015 को अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर लक्ष्मणन ने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि अगर बैंक से राशि निकाली गई है तो चेक की कॉपी व पैन कार्ड इत्यादि साथ में रखें। अगर किसी कंपनी के स्टॉफ के पेमेंट के लिए राशि ले जायी जा रही है तो कंपनी के लेटर पैड पर राशि की निकासी संबंधित निर्देश, बैंक के कागजात व कंपनी के पैन कार्ड इत्यादि सबूतों को पेश करें। कोई मरीज के इलाज के लिए पैसे ले जा रहा है, तो संबंधित कागजात साथ में रखें। जाँच अधिकारी को संतुष्ट करना आवश्यक है। जाँच अधिकारियों को स्टैंडर्ड प्रोसिडिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया है। इसके पूर्व बुधवार को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने निर्वाचन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर बताया कि उद्योगों से संबंधित कार्यों के लिए बड़ी रकम की आवाजाही होती है। जाँच के दौरान उद्यमियों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ रही है।

जाँच की दिशा सही : श्री लक्ष्मणन ने कहा कि चुनाव खर्च की निगरानी की प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है। उन्होंने बताया कि एक हजार जाँच टीमों का गठन किया गया है। इनके द्वारा की जा रही जाँच के दौरान प्रतिदिन 20-25 मामले ही सामने आ रहे हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 17.9.2015)

TRADE CIRCLES FROWN AT EC FLYING SQUADS

A delegation of the Bihar Chamber of Commerce & Industries (BCCI) met the election authorities on 16.9.2015 to complain that business had been hit due to the restriction on carrying high-value cash.

Clarifying this, Additional Chief Electoral Officer, Bihar, R. Lakshmanan said, "We have advised them to carry supporting documents while carrying high-value cash. If money has been withdrawn from a bank, the person carrying the cash should possess a photocopy of the cheque or passbook and PAN card. If money from business, say for example, a petrol pump outlet is being taken to be deposited in a bank, the carrier should possess the firm's certificate, which should be a declaration to this effect, and photocopy of its PAN card. The idea is that the person carrying high-value cash should be able to establish the money trail,"

"You will appreciate the fact that we need to differentiate between genuine and fabricated transactions, and we expect people to cooperate with us, "Lakshmanan signed off.

Meanwhile, the police seized a total of Rs 34.17 lakh on Wednesday as part of the l,000-odd mobile and static surveillance teams set up in the state to check use of black money in polls. Patna accounted for cash seizure of Rs 29.50 lakh, followed by Nawada (Rs 1.83 Lakh), Madhubani (Rs 1.06 lakh) and Rs 1 lakh Nepalese currency and Rohtas (Rs 78,000). Besides cash, 2 kg silver was also seized from Nawada. In addition, 11,580 litre illegal liquor and 5 kg ganja was also seized from Rohtas.

To check illegal liquor, the election authorities had decided to install CCIV cameras at exit points of distilleries and manufacturing units of liquor firms.

(Source : Hindustan Times, 17.9.2015)

प्रधान आयुक्त आयकर के साथ चैम्बर में बैठक

सदस्यों को संबोधित करते प्रधान आयुक्त श्री प्रभात भूषण। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः संयुक्त आयुक्त आयकर श्री आर. के. मिश्रा, सहायक आयुक्त आयकर डॉ. शिव शंकर यादव, चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, महामंत्री श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल एवं उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी।

एक अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक मांग सुधार पखवाड़ा मनाया जाएगा। ये बातें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में दिनांक 09 सितम्बर 2015 को आयकर विभाग की और से अग्रिम कर के विषय पर विभिन्न व्यापारिक संगठनों एवं मुख्य करदाताओं के साथ हुई बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान आयकर आयुक्त

.....शेष पृष्ठ 3 पर

चैम्बर की 88वीं वार्षिक आम सभा संपन्न

88वीं वार्षिक आम सभा की अध्यक्षता करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया एवं नव-निर्वाचित महामंत्री श्री शशि मोहन तथा बाँयीं ओर महामंत्री श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, कोषाध्यक्ष डॉ. रमेश गाँधी एवं कार्यकारी सचिव श्री सुरेश राम।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की 88वीं वार्षिक आमसभा दिनांक 29 सितम्बर, 2015 को संपन्न हुई जिसमें सर्वसम्मति से श्री ओ० पी० साह पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्री मधुकर नाथ बरेरिया पुनः उपाध्यक्ष एवं डॉ० रमेश गाँधी पुनः कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, उपाध्यक्ष एवं श्री शशि मोहन महामंत्री निर्वाचित हुए।

वार्षिक आमसभा ने निम्नलिखित सदस्यों को चैम्बर का सत्र 2015-2016 के लिए कार्यकारिणी समिति का सदस्य निर्वाचित किया– सर्वश्री अजय कुमार, आलोक कुमार पोद्दार, अनिल पचीसिया, हरीश राज, जयदीप जैन, कमल कुमार बोथरा, नवीन कुमार मोटानी, पवन कुमार भगत, प्रदीप कुमार, राधेश्याम बंसल, राजीव अग्रवाल, राजेन्द्र अग्रवाल, सच्चिदानन्द, संजय कुमार भरतिया, शशि गोयल एवं स्वदेश कुमार।

सभागार में उपस्थित माननीय सदस्यगण।

आम सभा को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह एवं मंच पर आसीन चैम्बर के पदाधिकारीगण।

वार्षिक आमसभा में निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गये– बैंकिंग, उर्जा, उद्योग, वैट, श्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना (रेलवे एंड ट्रान्सपोर्ट), टैक्सेसन, नगर विकास एवं सूचना का अधिकार। आम सभा द्वारा पारित इन प्रस्तावों को सरकार के संबंधित विभागों को सकारात्मक निर्णय लेने हेतु समर्पित किया जाएगा।

श्री ओ० पी० साह ने उन्हें सर्वसम्मति से पुनः चैम्बर का अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिए सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद दिया एवं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने सदस्यों को आश्वस्त किया कि उनकी पूरी टीम राज्य के व्यवसायियों एवं उद्यमियों के हितों के लिए सदैव तत्पर एवं पूर्णरूपेण समर्पित रहेगी।

प्रधान आयुक्त आयकर के साथ चैम्बर में बैठक..... पृष्ठ 2 का शेष

प्रशांत भूषण ने कहीं। अग्रिम कर के उचित व ससमय भुगतान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि वैसे करदाता जिनका कर दायित्व दस हजार से अधिक होने की संभावना है उन्हें अग्रिम कर भुगतान करना अनिवार्य है। कंपनी मामले में यह राशि कुल अनुमानित कर दायित्व के 45 फीसद एवं गैर कंपनी मामले में 30 फीसद का भुगतान 15 सितम्बर तक करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 15 दिसम्बर तक कंपनी के लिए 75 फीसद एवं गैर कंपनी के लिए 60 फीसद अग्रिम कर, जमा करना है। जबकि 15 मार्च तक दोनों के लिए सौ फीसद भुगतान करना अनिवार्य है। भुगतान नहीं करने पर प्रति माह एक फीसद ब्याज का वहन करना होगा। प्रधान आयकर आयुक्त श्री भूषण ने व्यवसायियों के विद्युत विभाग की ओर से टीडीएस संबंधित मामला उठाने पर एक सप्ताह में इसका निपटारा कर देने का आश्वासन दिया।

बैठक में चैम्बर के अध्यक्ष ओ० पी० साह, पूर्व अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल, सुभाष कुमार पटवारी, ओ० पी० टिबड़ेवाल, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के राम लाल खेतान, सयुक्त आयकर आयुक्त राजेश कुमार मिश्रा, सहायक आयकर आयुक्त मृत्युंजय कुमार प्रभात, शिव शंकर यादव वागिश चंद्र मिश्रा भी उपस्थित थे।

(दैनिक जागरण, 10.9.2015)

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के बावजूद नहीं चल रहा काम

दैनिक जागरण की ओर से शुरू किए गए **'चुनिए भविष्य बिहार का'** अभियान के तहत चौथे दिन बुधवार दिनांक 16.09.2015 को **'सूबे में स्वास्थ्य सुविधाएँ'** विषयक परिचर्चा आयोजित की गई। दैनिक जागरण के पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित कार्यालय में उद्यमियों, समाजसेवियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, चिकित्सकों, सहित समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों ने अपनी बेबाक राय रखी।

अधिकांश लोगों का मानना था कि सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सुधार तो हुआ है, बावजूद इसके अभी भी काम नहीं चल रहा है। खर्च करने के बावजूद मरीजों का इलाज सहूलियत के साथ नहीं हो पा रहा है। चिकित्सकों की कमी, कार्यअवधि में लेटलतीफी, सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों का अभाव,दवाओं की कालाबाजारी अस्पतालों में बेड की कमी, व्यवस्था पर दलालों का वर्चस्व साहित अन्य समस्याओं से जुझना लोगों की मजबूरी हो गई है। इसकी वजह यह कि आबादी के अनुरूप प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार नहीं हो रहा है। जानते हैं लोगों की राय उनकी ही जुबानी...

अपेक्षित सुधार तो अभी नहीं हुआ

10 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुआ है। लेकिन यह अपेक्षित से कम है। सुधार तब सार्थक होगा जब निजी अस्पताल छोड़कर लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने लगे। जरूरी यह है कि पीपीपी मोड पर स्वास्थ्य क्षेत्र में काम हो। अभी एक प्रयोग मेदांता और जयप्रभा अस्पताल को लेकर हुआ है। यह कांसेप्ट अच्छा है। इसे बढ़ावा देना होगा। हेल्थ को थ्रस्ट एरिया में लिया गया है। लेकिन प्रदेश में अभी स्वास्थ्य नीति नहीं बनी है। इसकी सख्त जरूरत है। जल्द से जल्द स्वास्थ्य नीति बननी चाहिए। लोग तो लाचारी में सरकारी अस्पतालों में जाते हैं।

– ओ. पी. साह, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

चिकित्सा क्षेत्र प्रोफेशनल हुआ

सरकारी अस्पतालों में सेवाभाव तो अब बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। अगर रोग का इलाज शुरू में ही उचित ढंग से हो तो 70 फीसद मामले आगे ही नहीं बढ़ेंगे। दिल्ली जैसे जगहों के विशेषज्ञों का मानना है कि कैंसर के सर्वाधिक मरीज बिहार से आते हैं। हैरानी यह कि वे अंतिम स्टेज में यहाँ पहुँचते हैं। बिहार में झोला छाप डॉक्टरों की वजह से भी छोटी बीमारी बड़ी हो जाती है। इसका निदान करना होगा। एक ऑपरेशन के लिए इतनी दवाएँ लिखी जाती हैं कि चार ऑपरेशन हो जाएँ। स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए गंभीर होना पड़ेगा।

– डॉ. रमेश गाँधी, कोषाध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

अस्पतालों पर मरीजों का दबाव

बड़े अस्पतालों से लेकर पीएचसी, एडिशनल पीएचसी तक में सुधार हुआ है। लेकिन सभी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ है। डॉक्टर गाँवों में जाते हैं लेकिन सुविधाएं न मिलने से टिक नहीं पाते हैं। मेडिकल क्षेत्र के लिए फंड की भी कमी नहीं है। इस्तेमाल करने वाले डरे हुए हैं कि कहीं एफआइआर न हो जाए। डॉक्टर बेवजह भी अधिक जांच करा देते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से वे बचना चाहते हैं। अस्पतालों से एक या दो दवा ही मिल पाती है, बाकी बाजार से खरीदनी पड़ती है। मिलकर आवाज बुलंद करने की जरूरत है।

– सुबोध कुमार जैन, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

अस्पतालों को अपग्रेड करना होगा

ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों की दशा अब भी नहीं सुधरी है। इन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है। इन अस्पतालों में चिकित्सक भी देर-सवेर ही पहुंचते हैं। दायित्व बोध में भारी कमी आई है। सरकारी नौकरी करते हैं लेकिन अपने निजी अस्पतालों पर ज्यादा ध्यान रहता है। डॉक्टर भी पैसे के पीछे भागने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सुधार हुआ ही नहीं है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। खास कर टेक्निकल एक्सपर्ट की भारी कमी है। नई मशीनें आई हैं, लेकिन उन्हें ऑपरेट करने वाले ही नहीं हैं। मेरा मानना है कि सरकार और कारपोरेट क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा।

– सच्चिदानंद, प्रेसिडेंट, रोटरी पाटलिपुत्रा एवं सदस्य, बी.सी.सी.आई

(साभार : दैनिक जागरण, 17.9.2015)

आयकर का रिफंड 7 से 10 दिन में

करदाताओं के लिए अच्छी खबर है। आयकर विभाग अब सात से 10 दिन की अल्प अवधि में रिफंड का प्रसंस्करण कर उसे करदाताओं के खातों में भेजेगा। इसका कारण विभाग की प्रौद्योगिकी का उन्नत होना और आधार आधारित आईटीआर सत्यापन का सफलतापूर्वक शुरू होना है।

आयकर रिटर्न का सत्यापन आधार या अन्य बैंक डेटाबेस से करने के विभाग के ताजा कदम को आईटीआर फाइल करने वालों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इससे कर अधिकारी आकलन वर्ष 2015-16 के लिए रिफंड का प्रसंस्करण और उसे बैंक खातों में 15 दिन से कम समय में भेजने में कामयाब हुए हैं। इस प्रक्रिया से जुड़े विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, यह अब बीते दिनों की बात हो गई है जब आईटी रिफंड में महीनों और कुछ मामलों में वर्षों लग जाते थे। **(हिन्दुस्तान, 14.9.2015)**

सूबे के खुदरा शराब व्यापारी टैक्स के दायरे से बाहर

राज्य के खुदरा शराब व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। राहत की बात यह है कि अब उन्हें वाणिज्य कर विभाग में शराब की बिक्री पर टैक्स जमा नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने शराब के प्रत्येक चरण की बिक्री पर टैक्स लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया है। केवल प्रथम चरण की बिक्री पर ही 50 प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में राज्य के सभी खुदरा शराब व्यापारी टैक्स के दायरे से बाहर हो गए हैं। वाणिज्य कर विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की दी है।

जनवरी से अगस्त तक देना होगा टैक्स : खुदरा शराब व्यापारियों को जनवरी 2015 से नई अधिसूचना जारी होने तक शराब की प्रत्येक बिक्री पर टैक्स देना होगा। जो व्यापारी टैक्स नहीं देंगे उन पर विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ तीन गुनी पेनाल्टी भी लगायी जाएगी।

पूर्व में क्या व्यवस्था थी : जनवरी 2015 में राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी कि शराब के प्रत्येक चरण की बिक्री पर 50% टैक्स लगेगा। यानी शराब की कीमत 100 रु० है तो प्रथम चरण की बिक्री पर 50% टैक्स (100+50) रु० में मिलेगा। इसी शराब को खुदरा विक्रेता 200 में बेचता है तो 50 रु० लाभ पर 50% टैक्स (50+25) यानी कुल 225 रु० में शराब ग्राहकों को मिलेगी।

शराब व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द : जनवरी 2015 से शराब की प्रत्येक चरण बिक्री पर लगने वाले टैक्स की अधिसूचना के बाद राज्य के कई व्यापारियों ने वाणिज्य कर विभाग में निबंधन कराया था। लेकिन अब सरकार की घोषणा के बाद सभी खुदरा व्यापारी टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में वाणिज्य कर विभाग में निबंधन कराए रखना उचित नहीं होगा। अमर व्यापारी वाणिज्य कर विभाग से अपना निबंधन रद्द नहीं कराते हैं तो भविष्य में परेशानी हो सकती है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 9.9.2015)**

काले धन पर कोई नरमी नहीं: जेटली

केंद्रीय वित मंत्री अरुण जेटली ने कालेधन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर किसी भी प्रकार की नरमी बरतने से इनकार किया है। जेटली ने कहा कि कोई भी अर्थव्यवस्था कालेधन का लंबे समय तक साथ नहीं दे सकती। जेटली ने एक कार्यक्रम में कहा, काला धन ऐसा मसला नहीं है जिस पर हम नरमी बरतेंगे। क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य होता है कि अपने विस्तार के साथ वह ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को अपनी प्रणाली के तहत लाए। **(साभार : हिन्दुस्तान, 10.9.2015)**

No special session, GST not likely before 2017

Implementation of the Goods and Services Tax is unlikely before 2017 as the government on 9-9-2015 abandoned plans to convene a special session of Parliament to approve the constitution amendment bill for rolling out the country's most ambitious indirect tax reform since Independence.

(Details: T. O. I, 10.9.2015)

उद्योग के लिए 45 दिन में बदलेगा भूमि का स्वरूप

राज्य में उद्योग लगाना पहले से आसान हो जाएगा

राज्य में उद्योग लगाना पहले से आसान हो जाएगा। कृषि योग्य भूमि को औद्योगिक भूमि में बदलने में पहले जितना समय लगता था, अब उसका आधा ही समय लगेगा। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि हर हाल में 45 दिनों में भूमि का स्वरूप बदलने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नए प्रावधान की जानकारी विभाग ने सभी डीएम को दे दी है। साथ ही उन्हें आदेश दिया गया है कि जल्द इस संबंध में निर्देश सभी एसडीओ को दे दें।

राज्य में जमीन की कमी से उद्योग लगाने में बाधा उत्पन्न होती है। कृषि योग्य भूमि पर उद्योग लगाना और कठिन था। कृषि योग्य भूमि को औद्योगिक भूमि में बदलने में नियमत: तीन महीने लग जाते थे। बाकी प्रक्रिया उसके बाद ही शुरू होती है। अब सरकार ने बिहार कृषि अधिनियम 2010 में संशोधन करते हुए उद्योगों के लिए जमीन का स्वरूप बदलने की समय सीमा घटा दी है। इस काम में अब मात्र 45 दिन लगेंगे। लेकिन यह व्यवस्था सिर्फ उद्योगों के लिए की गई है। शेष किसी भी हाल में जमीन का स्वरूप बदलने के लिए पुराने अधिनियम के अनुसार ही काम होगा।

विभिन्न चरणों के लिए तय समय-सीमा

नक्शा तैयारी और बिक्री आंकड़ों का संकलन	45 दिन	धारा 9 के तहत नोटिस	15 दिन
अधिसूचना का प्रकाशन	15 दिन	आपत्ति संकलन व निस्तारण	30 दिन
आपत्ति आमंत्रण	30 दिन	एरटीमेट की तैयारी	30 दिन
आपत्ति का संकलन	10 दिन	एस्टीमेट का अनुमोदन	15 दिन
आपत्ति का निस्तारण	60 दिन	पंचाट (अवार्ड) की घोषणा	15 दिन
अधिघोषणा का अनुमोदन व प्रकाशन	15 दिन	प्रक्रिया पूरी करने का समय	280 दिन

सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए समय सीमा भी तय कर दी है। तय हुआ है कि किसी भी योजना के लिए 280 दिन के भीतर ही जमीन का अधिग्रहण कर लेना होगा। नक्शा की तैयारी से लेकर स्टीमेट का अनुमोदन और पंचाट (अवार्ड) की घोषणा तक की प्रक्रिया इसी अवधि में पूरी करनी होगी। साथ ही जमीन अधिग्रहण प्रस्तावों पर डीएम की सहमति अनिवार्य कर दी गई है।

सरकार का मानना है कि अधिग्रहण में विलंब होने से योजनाओं की लागत बढ़ जाती है। अधिकारी समय पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं। समय बीतने लगता है तो सामान्य योजना के लिए जमीन अधिग्रहण को भी आपात प्रक्रिया में डाल देते हैं। इससे जमीन मालिकों को मुआवजे का अधिक भुगतान करना पड़ता है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 19.8.2015)**

उद्योग जगत व अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक में बोले पीएम

जोखिम लें और निवेश करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 08.09.2015 को उद्योग जगत से जोखिम लेने व निवेश तेज करने का आह्वान किया। मौजूदा वैश्विक आर्थिक वातावरण पर प्रधानमंत्री की कंपनियों और बैंकों के प्रमुखों, अर्थशास्त्रियों व अफसरों के साथ हुई बैठक में मोदी ने उद्योगपतियों से उनके समझ उपलब्ध अवसर को भुनाने व बुनियादी ढांचा प्रणाली का लाभ उठाने को कहा।

बैठक में उद्योग जगत के दिग्गजों ने ब्याज दर में कटौती व कारोबार को आसान बनाने के साथ ही नीतिगत कदम उठाये जाने की जरूरत पर जोर दिया। चीन संकट पर मोदी का मानना था कि किसी की तकलीफ हमारे लिए लाभ नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें इसे एक अवसर के रूप में लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।

उद्योगपतियों के सुझाव : उद्योगपतियों ने अर्थव्यवस्था में सुधार व कारोबार करने को आसान बनाने के लिए कई सुझाव दिये। पीएम से अनुरोध किया कि पूंजी की लागत कम की जानी चाहिए। बुनियादी ढांचा विकास में तेजी लाया जाये और नये उद्यमियों को कर प्रोत्साहन मिले। आर्थिक वृद्धि को पूरा करने के लिए बैंकों की पूंजी जरूरत व बैंकों के फंसे कर्ज के वर्गीकरण की आवश्यकता का मामला भी उठा।

(साभार : प्रभात खबर, 9.9.2015)

बाढ़ बिजली संयंत्र के लिए कोयला स्रोत को मंजूरी

केन्द्र सरकार ने 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन की लागत में कमी लाने के लिए बाढ़ बिजली परियोजना के लिए कोयला आपूर्ति स्रोत को मंजूरी दे दी। इसके अलावा राज्य में बिजली की स्थिति सुधारने के लिए 1850 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बाढ़ संयंत्र से पैदा होने वाली 1320 मेगावाट में से 1010 मेगावाट बिजली दो रुपए प्रति यूनिट की दर पर मिलेगी। अभी बिजली की दर 4.15 रुपये प्रति यूनिट है। गोयल ने कहा कि बाढ़ बिजली संयंत्र के लिए कोयला आपूर्ति का स्त्रोत उपलब्ध नहीं था। इसलिए संयंत्र सीधे बाजार से कोयला खरीद रहा था। इससे जहाँ संयंत्र की क्षमता का इस्तेमाल कम हुआ, वहीं बिजली की लागत भी बढ़ गई। कोयला स्त्रोत मिलने से लागत कम होगी। बिजली मंत्री ने कहा कि एनटीपीसी की बाढ़ परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता परिचालन में थी। कोयला मिलने के बाद कंपनी अगले माह तक शेष 660 मेगावाट को भी शुरू कर सकती है। कोयला स्त्रोत आवंटित होने से एनटीपीसी परियोजना को हजारों करोड़ रुपये की बचत होगी। पीयूष गोयल ने कहा कि केन्द्र सरकार के इस फैसले का सीधा असर बिहार के लोगों पर होगा। राज्य में बिजली दरें घट जाएंगी। बिजली मंत्री ने कहा कि बिहार के लिए दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना एवं एकीकृत बिजली विकास योजना के तहत निधार्रित 6106 करोड़ रुपये के अलावा केन्द्र सरकार ने 7956 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं। इसके अलावा 1850 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि बिहार को उपलब्ध कराई गई है। ताकि, उन इलाकों में बिजली पहुँचाई जा सके, जहाँ लोग बिजली की किल्लत से जुझ रहे हैं। **(साभार : हिन्दुस्तान, 10.9.2015)**

मीटर का सील टूटा तो लोगों पर केस नहीं

विद्युत विनियामक आयोग ने सप्लाई कोड में किया संशोधन, 54 लाख उपभोक्ताओं को राहत

घरों में लगे बिजली के मीटर का सील टूटने पर अब उपभोक्ताओं पर केस दर्ज नहीं होगा। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने सप्लाई कोड में संशोधन करते हुए यह आदेश दिया है। इससे 54 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अभी तक मीटर का सील टूटते ही वितरण कंपनियों के अभियंता उपभोक्ता को आरोपी बनाकर केस दर्ज कर जुर्माना करते थे।

अब क्या होगा : मीटर का सील टूटने पर अब जांच होगी कि मीटर में टेंपरिंग हुई है या नहीं। सील पुराना होने के कारण भी टूट सकता है।

नहीं चुकाना होगा बकाया बिल : अगर किसी प्लॉट पर बिजली बिल बकाया है और उसी प्लॉट को दूसरा उद्यमी लीज पर लेकर उद्योग लगाना चाहता है, तो उसे बकाया बिल चुकाए बिना नया बिजली कनेक्शन मिलेगा। अभी तक वितरण कंपनियां ऐसे प्लॉट पर नया कनेक्शन नहीं देती थी। आयोग ने इसकी भी बाध्यता खत्म कर दी है।

200 करोड़ के प्लांट व मशीनरी लगाने पर नहीं लगेगा टैक्स : 200 करोड़ तक के प्लांट व मशीनरी लगाने वाले उद्यमियों को अब इंट्री टैक्स नहीं देना होगा। राज्य सरकार ने दो सितम्बर को यह आदेश दिया है। अभी तक एक करोड़ के प्लांट व मशीनरी लगाने पर ही इंट्री टैक्स में छूट मिलती थी। अब यहाँ के उद्यमी बिजली पोल बनाएंगे तो पाँच फीसदी ही वैट देना पड़ेगा। इसके पहले 13 फीसदी वैट देना पड़ता था। **(साभार : दैनिक भास्कर, 6.9.2015)**

आयोग ने जारी किया नोटिस

बिजली फ्रेंचाइजी कंपनियों ने नहीं खोला सुविधा केन्द्र

• सितम्बर, 2013 में मुजफ्फरपुर फ्रेंचाइजी शुरू किया था काम • जनवरी, 2014 में भागलपुर फ्रेंचाइजी ने शुरू किया था काम • जून, 2014 में गया फ्रेंचाइजी ने शुरू किया था काम

दो वर्ष बीतने के बाद भी बिजली फ्रेचाइजी कंपनी को मुजफ्फरपुर के उपभोक्ताओं की परेशानी दूर करने के लिए उपभोक्ता सुविधा केन्द्र नहीं खोलना महंगा पड़ गया। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए मुजफ्फरपुर फ्रेंचाइजी, भागलपुर फ्रेंचाइजी एवं गया फ्रेंचाइजी कंपनी को नोटिस जारी किया है। इनमें उनसे पूछा गया है कि करार के मुताबिक फ्रेंचाइजी कंपनियों ने अबतक उपभोक्ता सुविधा केन्द्र क्यों नहीं खोला।

आयोग ने संतोषप्रद जवाब नहीं देने वाली एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। आयोग को सूचना मिली थी कि मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं गया में रहने वाले लाखों उपभोक्ताओं के घर बिजली सप्लाई करने वाली एजेंसियों के काम करने के तौर-तरीके से उपभोक्ता परेशान हैं। बिजली बिल में गड़बड़ी का मामला हो या नया कनेक्शन लेने का मामला हो। कहाँ सुधार कराएँ, किसी को पता नहीं। कंपनी के अधिकारी उपभोक्ताओं को परेशान करते हैं। इकरारनामा के मुताबिक बिजली एजेंसियों को उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एक साथ में उपभोक्ता सुविधा केन्द्र का निर्माण करना था। ताकि, कोई समस्या होने पर उपभोक्ता अधिकारियों को खोजने की बजाय उपभोक्ता सुविधा केन्द्र में बैठे कर्मचारियों को अपनी परेशानी बता सके।

(साभार : दैनिक भास्कर, 16.9.2015)

सौ एकड़ से अधिक जमीन के अधिग्रहण पुनर्वास के लिए कमेटी

राज्य सरकार ने 100 एकड़ से अधिक जमीन के अधिग्रहण से संबंधित भूअर्जन परियोजनाओं में पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन कार्यों की मॉनिटरिंग व समीक्षा के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाने का निर्णय लिया है। समिति में दस सदस्य होंगे। इसमें प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं की एक प्रतिनिधि, प्रभावित क्षेत्र से एक एससी-एसटी प्रतिनिधि, राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रतिनिधि, परियोजना का भूमि अर्जन पदाधिकारी, प्रभावित क्षेत्र के पंचायत या नगरपालिकाओं का अध्यक्ष या उनके नामित व्यक्ति, जिला योजना समिति का अध्यक्ष या उनका नामित व्यक्ति, अधियाची निकाय का एक प्रतिनिधि और सदस्य समन्वय के रूप में पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक रहेंगे। ये राज्य सरकार के वर्ग-एक अधिकारी के समकक्ष माने जाएंगे। समिति की तीन माह में कम से कम एक बार बैठक अवश्य होगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 19.9.2015)

घर-घर मीटर लगाने में खर्च होंगे 141 करोड़

राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। बिजली कंपनी ने हर घर में मीटर लगाने के लिए 141 करोड़ खर्च करने की योजना बनाई है। दो साल में इस योजना पर अमल हो जाएगा। राज्य में अब भी लाखों उपभोक्ता बिना मीटर के हैं।

राज्य में 55 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। बीते वर्षों से हर घर में मीटर लगाने की योजना पर काम शुरू है। नए कनेक्शन में हर हाल में मीटर देने की योजना पर भी काम चल रहा है। लेकिन अभियान को गति देने के लिए कंपनी ने यह विशेष योजना बनाई है। रोज कितने उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाए जाएंगे, इसका खाका खींचा गया है। कंपनी की कोशिश है कि शत-प्रतिशत मीटर रीडिंग हो और लोग खपत के अनुसार बिजली बिल जमा करें।

होगा लाभ : हर घर में मीटर लगाने से कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। वैध उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर बिजली चोरी पर लगाम लगाय जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 2014-15 में दक्षिण बिहार में 46.65 फीसदी तो नार्थ बिहार में 31.48 फीसदी (कुल 39.06 फीसदी) का संचरण-वितरण (एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉस) नुकसान हुआ।

चालू वित्तीय वर्ष में 39 फीसदी नुकसान की संभावना है। राज्य में अभी हर महीने लगभग 500 करोड़ की बिजली खरीद हो रही है। लगभग 40 फीसदी के हिसाब से भी बिजली कंपनी को हर महीने 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सभी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगने पर बिल भुगतान में तेजी आएगी और कंपनी की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 16.9.2015)**

भूटान से बिहार को 889 मेगावाट बिजली मिलेगी

भूटान की तीन परियोजनाओं से भारत को मिलेगी बिजली

बिहार को भूटान की तीन बड़ी बिजली परियोजनाओं से बिजली मिलेगी। केन्द्र सरकार ने पुनासांगचु फेज-1 और फेज-2 के साथ-साथ मांगडेचू परियोजना में बिहार की हिस्सेदारी तय कर दी है। भूटान की इन परियोजनाओं से भारत के आठ राज्यों को बिजली मिलनी है। हालांकि, सबसे बड़ी हिस्सेदारी बिहार को ही दी गई है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकार (सीईए) की अनुशंसा पर 2940 मेगावाट क्षमता की इन तीनों परियोजनाओं की 2499 मेगावाट बिजली इन राज्यों को मिलेगी। बिहार को 889 मेगावाट बिजली देने का निर्णय लिया गया है।

अभी बिहार को बिजली मिलती है : फरक्का, तालचर, कहलगाँव, बाढ़, दादरी, ताला, चुखा, तिस्ता, रंगीत (इसके अलावा बाजार से भी बिजली खरीदी जाती है)

परियोजना	
पुनासांगचू फेज-1	1200 मेगावाट
पुनासांगचू फेज-2	1020 मेगावाट
मांगडेचू	720 मेगावाट
कुल बिजली	2940 मेगावाट
अनावंटित	441 मेगावाट (15%)
आवंटित बिजली	2499 मेगावाट

राज्यों के हिस्से	
राज्य	**कोटा प्रतिशत हिस्सेदारी**
बिहार	889 मेगावाट (30.24%)
झारखंड	351 मेगावाट (11.94%)
असम	500 मेगावाट (17.01%)
मणिपुर	40 मेगावाट (1.36%)
नगालैंड	50 मेगावाट (1.70%)
ओडिशा	300 मेगावाट (10.20%)
पश्चिम बंगाल	305 मेगावाट (10.37%)
सिक्किम	64 मेगावाट (2.18%)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को स्वीकृति

दक्षिण बिहार के 17 जिलों में बनेंगे 123 पावर सब स्टेशन

राज्य की बिजली संरचना को मजबूत करने के लिए दक्षिण बिहार के 17 जिलों में 123 पावर सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मंजूर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत बनने वाले पावर सब स्टेशनों को राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इन पावर सब स्टेशनों का निर्माण होने के बाद दक्षिण बिहार के किसानों को खेतों तक बिजली मिल सकेगी। साथ ही सुदूर ग्रामीण इलाके में बिजली की संरचना को मजबूती मिलेगी। अभी तक पावर सब स्टेशनों के अभाव में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को लो-वोल्टेज व बार-बार बिजली कट का सामना करना पड़ता है।

पटना जिले में बनेंगे 17 पावर सब स्टेशन : • बख्तियारपुर ब्लॉक में- करौटा • बिहटा ब्लॉक में - फरीदपुरा, बेला, यमुनापुर, सदिसोपुर • धनरूआ ब्लॉक में - नदवन, कादरीगंज • फतुहा ब्लॉक में - अरफा • खुसरुपुर ब्लॉक में- शुकरबेगचक • मसौढ़ी ब्लॉक में-भगवानगंज • मोकामा ब्लॉक में-बराहपुर, रामपुर डुमरा • नौबतपुर ब्लॉक में - अहुआरा • पालीगंज ब्लॉक में - जरखा • पंडारक ब्लॉक में - कुशलचक • पटना ग्रामीण में - मरची • फुलवारी ब्लॉक में - गोनपुरा

भागलपुर जिले में बनेंगे 3 पावर सब स्टेशन : • नौगछिया ब्लॉक में- नवादा • साहकुंड ब्लॉक में - सजौर • सुलतानगंज ब्लॉक में-बाथ।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 9.9.2015)

आरबीआइ से दस छोटे बैंकों को मंजूरी

रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने दस निजी इकाइयों को लघु बैंक (स्माल बैंक) चलाने की मंजूरी दे दी है। इनमें वाराणसी की उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस और जालंधर का कैपिटल लोकल एरिया बैंक शमिल हैं। इनके अलावा उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज और इक्विटास होल्डिंग का भी इस सूची में नाम है। ये छोटे बैंक बुनियादी बैंकिग सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ किसानों और सूक्ष्म उद्योगों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराएंगे। आरबीआइ ने पिछले माह 11 इकाइयों को पेमेंट बैंक खोलने की मंजूरी दी थी। इसी साल केंद्रीय बैंक आइडीएफसी और बंधन को पूर्ण बैंक चलाने की अनुमति दे चुका है। आरबीआइ की यह सैद्धांतिक अनुमति 18 महीने के लिए वैध होगी। इस अवधि में इन इकाइयों को रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए बैंक शुरू करना होगा।

इन्हें भी मिली है अनुमति : एयू फाइनेंसर जयपुर, दिशा माइक्रोफिन अहमदाबाद, ईएसएएफ माइको फाइनेंस चेन्नई, जनलक्ष्मी फाइनेंशियल बेंगलुरू, आरजीवीएन (नार्थ ईस्ट) माइक्रो फाइनेंस गुवाहाटी, सूर्यादय माइक्रो फाइनेंस मुंबई, उज्जीवन फाइनेशियल सर्विसेज और इक्विटास होल्डिंग्स। **(दैनिक जागरण, 17.9.2015)**

नॉन बैंकिंग की ठगी में थानाध्यक्ष पर कार्रवाई

थानाध्यक्षों को स्वत: संज्ञान लेकर जाँच करने व दोषी पाये जाने पर मुकदमा दर्ज करने का अधिकार

नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी (एनबीएफसी) के जरिये ठगी करनेवाली कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए अब थाना प्रभारियों को जिम्मेदार बनाया गया है। राज्य के किसी भी इलाके में नॉन बैंकिंग कंपनी द्वारा ठगी किये जाने पर इसके लिए स्थानीय थानेदार को जिम्मेदार मानते हुए उस पर कार्रवाई की जायेगी। थानाध्यक्षों को यह अधिकार दिया गया है कि वे बिना शिकायत भी किसी नॉन बैंकिंग कंपनी की जाँच कर सकेंगे और दोषी पाये जाने पर उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करा सकेंगे। आरबीआइ क्षेत्रीय कार्यलय में हुई स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी (एसएलसीसी) की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आरबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार वर्मा, गृह सचिव सुधीर कुमार राकेश, वित्त सचिव रवि मित्तल, कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार के अजय कुमार चौधरी इओयू के शंकर झा सहित सेबी, इरडा, आइसीए व नेशनल हाउसिंग बैंक के अधिकारी मौजूद रहे।

मनी लैंडर्स एक्ट से मुक्त होगी रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग कंपनी : श्री वर्मा ने बताया कि आरबीआई से रजिस्टर्ड 22 नॉन बैंकिंग कंपनी को मनी लैंडर्स एक्ट से मुक्त रखने का निर्णय लिया गया है। यह बाजार दर के मुताबिक चार्ज कर सकेंगी। इसके अलावा निर्धारित से अधिक दर वसूलने वाली माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर कार्रवाई होगी।

एनबीएफसी कंपनियों का डाटाबेस तैयार कर रहा वित विभाग : बैठक की जानकारी देते हुए आरबीआइ के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि वित्त विभाग एनबीएफसी कंपनियों का डाटाबेस तैयार कर रही है। इसके लिए सभी कंपनियाँ को अपने जिला अथॉरिटी के पास डिटेल जमा कराने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि ठगी करने वाली नन बैंकिंग कंपनियों की घर पकड़ को लेकर आरबीआइ ने मार्केटिंग इंटेलिजेंस बनाया है, जो सरकार के इओयू के साथ मिल कर काम कर रही है।

हर डिवीजन में चिह्नित कोर्ट : अब तक 78 मामलों में नन बैंकिंग कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। पीआइडी (प्रोटेक्शन ऑफ इंट्रेस्ट ऑफ डिपोजिटर) एक्ट के तहत जिले में बैंकिंग एडीएम को अथॉरिटी बनाया गया है। मामलों की जल्द सुनवाई को लेकर हर डिवीजन में इसके डेजीग्नेटेड कोर्ट भी बनाये गये हैं। तय सीमा के भीतर इनकी सुनवाई होगी।

जानकारी के अभाव में कार्रवाई : श्री वर्मा ने बताया कि पुलिस जानकारी के अभाव में भी कार्रवाई कर रही है। हाल ही में मुजफ्फरपुर में कैशपोर नामक माइक्रोफाइनांस कंपनी के पाँच ब्रांच मैनेजरों को पुलिस ने उठा कर बंद कर दिया, जो गलत है। सेक्शन 25 के तहत इस कंपनी को आरबीआइ से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। यह कंपनी डिपोजिट भी नहीं लेती। इसलिए डीएम-एसपी कोई भी कार्रवाई करने से पहले इसके अनुदेशों को अच्छी तरह से पढ़ लें। **(साभार : प्रभात खबर, 16.9.2015)**

सरकारी बैंकों की पटना शाखा में आसानी से मिल रहा मुद्रा लोन

अगर आप लघु उद्योग लगाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपके लिए बड़ा सहारा साबित रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन कम ब्याज दरों पर उपलब्ध होगा। पटना में राष्ट्रीयकृत बैंक और ग्रामीण बैंक इसके लिए आवेदन ले रहे हैं। अबतक सिर्फ पटना जिले में 80 करोड़ से अधिक की राशि के ऋण आवंटित किये जा चुके हैं परंतु जागरूकता की कमी होने से अभी भी कम आवेदक ही बैंकों तक पहुँच रहे हैं।

छोटे उद्यमियों को 3 श्रेणियों में मिलेगा ऋण : • शिशु : 50 हजार रुपए तक के लोन के लिए • किशोर : 50 हजार रुपए से पाँच लाख रुपए तक के लोन के लिए • तरुण: 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए • पटना में 'शिशु' श्रेणी (50 हजार तक के लोन) के लिए सबसे ज्यादा आवेदन आ रहे हैं • पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी शाखाओं को दिए हैं टारगेट, सबसे बड़ा ऋणदाता बन कर उभर रहा पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा का परफार्मेंस भी अच्छा • आवेदक यदि अपने मूल निवास स्थल से निकटतम शाखा में करेंगे आवेदन तो लोन मिलने में कोई परेशानी नहीं। • ब्याज दर महज 11-12 फीसदी सालाना है।

ये काम करने के लिए मिलेगा लोन : • ऑटो रिक्शा, छोटे माल ढोने वाले वाहन, ई रिक्शा, सवारी कार, टैक्सी खरीद • सैलून ब्यूटी पार्लर, जिम, बुटीक, सिलाई दुकान, ड्राई क्लीनिंग, साइकिल व मोटर साइकिल मरम्मत दुकान, डीटीपी व फोटोकॉपी, दवा की दुकान, कोरियर एजेंट के लिए • पापड़, अचार, जैम-जैली बनाना, ग्रामीण स्तर पर कृषि उत्पाद। **(साभार : दैनिक भास्कर, 12.9.2015)**

बिहार की 89 सहकारी समितियाँ बंद की जाएंगी

राज्य की 89 को-ऑपरेटिव सोसाइटियाँ बंद की जाएंगी। ये ऐसी सोसाइटियाँ हैं, जिन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी हैं। इसके अलावा कई अन्य को-ऑपरोटिव सोसाइटियों पर भी बंदी का खतरा है। बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई के साथ हुई राज्यस्तरीय समन्वय समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। **(साभार : हिन्दुस्तान, 16.9.2015)**

500 रुपए के नोट की मांग देश में सबसे ज्यादा

भारत में करेंसी नोटों में सबसे अधिक मांग 500 रुपये के नोट की है। उसके बाद एक हजार रुपये के नोट का नंबर आता है। उद्योग मंडल एसोचैम के एक अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है।

इसके मुताबिक इस्तेमाल या बाजार में मौजूद कुल नोटों में से 46 प्रतिशत 500 रुपये के नोट हैं। मांग के मामले में 39.3 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ एक हजार रुपये का नोट दूसरे स्थान पर है। यह आंकड़ा मार्च, 2015 तक का है। एसोचैम ने रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के हवाले से कहा है कि 100 रुपये के नोट की खरीद क्षमता कम है। प्रचलन में मौजूद मुद्रा में 20 रुपये के नोट का हिस्सा एक प्रतिशत से भी कम है। 50 रुपये के नोट का हिस्सा 1.2 प्रतिशत है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 12.9.2015)**

बैंक जनधन खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा दें

सरकार ने बैंको को प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाताधारकों को पाँच हजार रुपये तक के ओवरड्राफ्ट देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस योजना के खाताधारकों और बेसिक बचत खाताधारकों से एसएमएस और संदेश का शुल्क नहीं वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 5.9.2015)**

OMBUDSMAN CAN HELP SORT OUT YOUR BANKING PROBLEM'S

What, shall you do if a bank charges service money for clearing your cheque that is on a par and a multi-city cheque? What shall you do if a Bank does not give you an NOC even though you have repaid a loan taken from it? What shall a woman do if bank asks her to repay the loan taken by her late husband, which also had an insurance cover? The answer lies with a banking ombudsman.

A banking ombudsman, a not-so-known service among bank customers, is there in every bank and also in Reserve Bank of India. The office of 'Bihar-Jharkhand banking ombudsman disposed off 4,531 complaints in 2014-15.

Even many cases of fraudulent ATM transactions, including IRCTC bookings, were addressed by RBI banking ombudsman in favour of customers after it was proved that the customers suffered due to the carelessness of the bank, said Bihar-Jharkhand banking ombudsman Smita C Kumar while presenting the annual report.

Every bank is supposed to monitor online transactions of the customers. It has to send an SMS alert every time such a transaction is made. "We got a case in which the customer hardly did any online transaction but as many as 15 mobiles were recharged with his money. This should have alarmed the bank, but it didn't react. In such a case, the customer was paid the money by the bank," she said.

The RBI banking ombudsman handles a variety of such complaints with most of them pertaining to pension and debit and credit cards. Many complaints related to loan, deposit account and remittances.

But it's not correct to approach the RBI banking ombudsman directly. Complaints, if any, must be registered with the banking ombudsman of the bank concerned. The RBI banking ombudsman should, be approached only if the grievance is not addressed within a month or is addressed unsatisfactorily. For that, the customer must furnish his/her name, account number, address of the account holder and the bank branch concerned besides as many documentary proofs as possible.

"One gentleman approached the RBI banking ombudsman stating ' his cheque hasI not been cleared for long. The bank (in which the cheque was deposited) said it has not got the money from the bank (which was to disburse the money). We said it was the matter between two banks and the customer must not be harassed. The customer had preserved the counter-receipt of the deposit and his grievance was addressed," she said. **(Souce : T.O.I., 16-9-2015)**

ट्रेन में सामान चोरी होने पर मांग सकते हैं मुआवजा

उपभोक्ता ट्रेन की आरक्षित डिब्बे में यात्रा कर रहा था। उसने अपना सामान बैठने के स्थान के नीचे दिए गए चेन से बांध रखा था। लेकिन जब वह सुबह गंतव्य स्थल पर पहुँचा तो उसने अपना सामान गायब पाया। उसने इसकी सूचना टी.टी, रेलवे पुलिस (जीआरपी) और संबंधित स्टेशन को दी। उपभोक्ता ने सेवा में कमी और लापरवाही के आधार पर जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराते हुए मुआवाजा मांगा। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 13.9.2015)**

छोटे स्टेशनों की भी सुधरेगी स्थिति

स्टेशन और हॉल्ट सौर ऊर्जा से जलेगी लाइट

दानापुर मंडल के छोटे स्टेशनों की स्थिति अब सुधरने वाली है। मूलभूत सुविधाओं के लिए यात्रियों को न तो भटकना पड़ेगा और न ही स्टेशन अंधेरे में रहेगा। रेलवे प्रशासन ने छोटे स्टेशनों की स्थिति सुधारने की योजना बनाई है। फिलहाल फुलवारी शरीफ स्टेशन, दानापुर स्टेशन, नेउरा स्टेशन, बिहटा आदि स्टेशनों पर यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। न तो बिजली रहती है और न ही शौचालय, पेयजल आदि की बेहतर सुविधाएं हैं।

जगमग होगा स्टेशन : बिजली नहीं होने की स्थिति में स्टेशन अंधेरे में नहीं रहेगा। बिजली की निर्भरता खत्म हो जाएगी। सौर ऊर्जा द्वारा लाइट से स्टेशन रात में जगमग रहेगा। यात्रियों को शौचालय के लिए स्टेशन पर इधर-उधर जाने की जरूरत नहीं होगी। सभी स्टेशन पर शुद्ध पानी के लिए चापाकल उपलब्ध कराया जाएगा। चापाकल लगने से यात्री को पानी के लिए इधर-उधर जाना नहीं पडेगा। जिस स्टेशन पर बिजली नहीं वहाँ बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। (**विस्तृत : दैनिक भास्कर, 12.9.2015**)

ई-टिकट अब रात 11-45 बजे तक लें

रेल मंत्रालय ने ई-टिकट बुक कराने का समय रात 11.45 बजे तक कर दिया है। अभी यात्री रात 11.30 तक ही ई-टिकट बुकिंग करा पाते हैं। यह नया नियम 20 सितम्बर से लागू होगा। रेल मंत्रालय ने 18.9.2015 को ये निर्देश दिए।

यात्रियों को स्टेशनों के करंट काउंटरों पर भी यह सुविधा मिलेगी। करंट काउंटरों पर टिकट बुक और रद्द होते हैं। टिकट आरक्षण केन्द्रों पर महिलाओं के लिए अलग काउंटर स्थापित करने का भी आदेश दिया गया है।

रेल मंत्रालय द्वारा सभी जोनल रेलवे को जारी निर्देश में कहा गया है कि कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय पर यदि प्रत्येक पाली में औसत मांग 120 टिकटों से कम नहीं है तो महिलाओं के लिए एक अलग आरक्षण काउंटर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। (**साभार : हिन्दुस्तान, 19.9.2015**)

दानापुर मंडल के आठ स्टेशन बनेंगे आदर्श

• आधुनिक यात्री सुविधाएँ होंगी उपलब्ध

• 95 करोड़ होगा खर्च, 31 मार्च तक हो जाएंगे तैयार

दानापुर मंडल के आठ छोटे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें आरा, डुमरांव, नवादा, वारीसलीगंज, शेखपुरा, हिसुआ, फतुहा व टेहटा स्टेशन शामिल हैं। (**साभार : दैनिक जागरण, 7.9.2015**)

बिहार की दर्जनों ट्रेनें नए साल की शुरुआत से ही रद्द

वर्ष 2016 की शुरूआत में कोहरे के कारण दानापुर डिविजन की कई ट्रेनें रद्द रहेंगी या बदले हुए रूट से चलेंगी। कोहरे के कारण राजधानी, संपूर्ण क्रांति, गरीब रथ, विक्रमशिला जैसी ट्रेनें भी रद्द रहेगी। इस बाबत पूर्व मध्य रेल जल्द सूचना जारी करेगा। दानापुर के जनसंपर्क अधिकारी आरके सिंह ने यह सूचना जारी की।

(**विस्तृत : हिन्दुस्तान, 11.9.2015**)

शुल्क कटौती पर विचार : ईपीएफओ

करीब 8,00,000 से भी अधिक नियोक्ताओं का वित्तीय बोझ कम करने वाले एक कदम के बारे में विचार करते हुए सेवानिवृत्ति इकाई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कंपनियों से लिए जाने वाले प्रशासनिक शुल्क में कटौती के बारे में विचार कर रही है। उद्योगों ने प्रशासनिक शुल्कों में कटौती को मांग की थी क्योंकि यह ईपीएफओ में नियोक्ता के योगदान का हिस्सा है। ईपीएफओ की योजना प्रशासनिक शुल्क को एक कर्मचारी के मासिक वेतन के 0.85 फीसदी से घटाकर 0.65 फीसदी करने की है। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने इस साल जनवरी से ही प्रशासनिक शुल्क को 1.10 फीसदी से घटाकर 0.85 फीसदी कर दिया है। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के. के. जालान ने कहा, 'जैसे-जैसे ईपीएफओ की सेवाएं बदलती तकनीक के साथ बेहतर होती जा रही हैं, प्रशासनिक शुल्क में कटौती की संभावना बढ़ी है। हम इसे घटाने को लेकर चर्चा कर रहे हैं।' हालांकि इस कदम को लागू करने के लिए ईपीएफओ की सर्वोच्च इकाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) से अनुमति लेनी होगी। सीबीटी की बैठक हैदराबाद में 16 दितम्बर को होनी है। अभी तक सीबीटी की बैठक के एजेंडे में यह प्रस्ताव शामिल नहीं है। उद्योग संगठनों द्वारा केंद्रीय श्रम मंत्रालय से इसे कम करने की मांग के बाद इस प्रस्ताव पर विचार शुरू हुआ है। (**साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 9.9.2015**)

कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 15 से 35 प्रतिशत तक अनुदान देकर बेरोजगारों बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करा कर स्वरोजगार मुहैया करायी जाती है। अब इस योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चालू कर दी गयी है। ये बातें खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक आरएस पांडेय ने कहीं। श्री पांडेय खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बैठक में सभी बैंक, राज्य के उद्योग निदेशालय, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग व उद्योग संघ के प्रतिनिध शामिल थे। (**साभार : प्रभात खबर, 10.9.2015**)

निगम को एफआईआर कराने का अधिकार नहीं

भवन निर्माण में गड़बड़ी पर पटना नगर निगम को प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार नहीं है। पटना हाईकोई ने निगम द्वारा बिल्डर पर दर्ज एफआई आर को निरस्त कर दिया।

न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह की एकलपीठ ने जय किशुन साव की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 188 तथा 420 के तहत एफआई आर दर्ज करने का अधिकार नगर निगम को नहीं है। अदालत ने कंकड़बाग थाना में दर्ज प्राथमिकी सहित सभी कार्रवाई को निरस्त कर दिया। (**विस्तृत : हिन्दुस्तान, 8.9.2015**)

अक्टूबर से होल्डिंग टैक्स पर जुर्माना लेगा नगर निगम

यदि 30 सितम्बर तक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया तो एक अक्टूबर से बकाया होल्डिंग टैक्स पर डेढ़ फीसद मासिक जुर्माना लगेगा। इस बार नगर निगम इस नियम को कड़ाई से लागू करने का फैसला कर चुका है। बताते चलें कि हर साल पहली अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है। 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर नगर निगम 5 फीसद की छूट देता है। हालाँकि इस बार सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ी आ जाने के कारण कई लोग जून के अंतिम सप्ताह में इस छूट का लाभ लेने से वंचित रह गए थे। 30 सितम्बर तक होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों से बिना किसी विलंब शुल्क नगर निगम होल्डिंग टैक्स स्वीकार करेगा। पहली अक्टूबर या उसके बाद टैक्स जमा करने पर प्रत्येक माह डेढ़ फीसद की दर से होल्डिंग टैक्स की राशि पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। (**साभार : दैनिक जागरण, 5.9.2015**)

राज्य में अनाज भंडारण की क्षमता बढ़ायी जाएगी

राज्य में खाद्यान्न भंडारण की क्षमता बढ़ायी जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, अंत्योदय समेत अन्य योजनाओं के लाभुकों को समय पर अनाज देने के लिए ऐसा किसा जाएगा। पंचायत स्तर पर राज्य योजना से नए गोदामों का निर्माण होगा।

सुविधा के लिए : • पंचायत स्तर पर राज्य योजना से होगा नए गोदामों का निर्माण • 2017 तक भंडारण क्षमता 20.75 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य •143 गोदामों का निर्माण पूरा कर लिया गया है • 37.14 करोड़ खर्च हुए इन गोदामों के निर्माण पर। (**विस्तृत : हिन्दुस्तान, 6.9.2015**)

अब पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट जरूरी

महानगरों की तरह अब पटना में बाइक की पिछली सीट पर बैठकर सफर करने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वालों के विरुद्ध राजधानी के विभिन्न इलाकों में पुलिस ने अभियान चलाकर जुर्माना किया।

> "बाइक चालक और पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वालों पर एमवीआइ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।"
>
> – **पी. के. दास,** ट्रैफिक एसपी

बिना हेलमेट पहने बाइक पर बैठे पकड़े गए तो सौ रुपया जुर्माना वसूला जाएगा। बहस करने पर 500 रुपये अदा करने होंगे। (**साभार : दैनिक जागरण, 16.9.2015**)

EDITORIAL BOARD

Editor
Shashi Mohan
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296